[त्र] हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/26	पत्रावली पेश हुई। वकलायन फरीकैन उप०। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व विद्वान अधिवक्ता गण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया गया। प्रा० पत्र 212 आरटीए पर तीनों महत्वपूर्ण बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर विवेचन किया गया। अतः प्रा०पत्र 212 RTA पर निस्तारित किए जाने वाले तीनों बिंदु प्रार्थी के पक्ष में साबित न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते हैं। उक्त विवेचन के आधार पर पूर्व प्रसारित TI की अवधि आगे बढ़ाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रा०पत्र 212 आरटीए खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।	